XXXIX(a)BR(H)-1i

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक निग0 3377–एक/12 जिला – जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
..6.14	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी अपर कलेक्टर प्रथम जबलपुर के द्वारा प्रकरण कमांक 14/अ–6/10–11 में पारित आदेश दिनांक 8–8–12 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । आलोच्य आदेश द्वारा अपर कलेक्टर ने आवेदकों द्वारा उनके समक्ष 20 वर्ष पश्चात प्रस्तुत अपील को समय सीमा में प्रस्तुत नहीं किया जाना मानते हुए समाप्त किया गया है ।	
	2– उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए प्रस्तुत तर्कों एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस में उठाये गये तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । यह प्रकरण समयसीमा के संबंध में है । इस प्रकरण में 20 वर्ष से अधिक का विलंब है और विलंब का कोई समाधान कारक कारण/उत्तर नहीं दिया गया है । इस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण को समसीमा के आधार पर निरस्त किया है । अधीनस्थ न्यायालय का यह निष्कर्ष औचित्यपूर्ण एवं न्यायिक प्रतीत होता है कि भूमि से संबंधित भू अधिकार एवं ऋण पुस्तिका संहिता की धारा 114 (क) के तहत तैयार कराना होता है, भूमि से संबंधित ऋण, भू–राजस्व भुगतान आदि कार्यों के लिए भी अभिलेखों की आवश्यकता होती है । इन अभिलेखों के प्रविष्टियों की जानकारी इतनों वर्षो तक आवेदक को नहीं हुई इस पर यकीन करना अत्यंत मुश्किल है । इस न्यायालय के समक्ष भी आवेदकों की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में 20 वर्ष बाद अपील प्रस्तुत किए जाने के संबंध में कोई समुचित एवं समाधान	

तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकार एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

कारक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है । अतः प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का जो आदेश है वह न्यायिक और विधिसम्मत होकर उसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है ।

परिणामतः यह निगरानी निरस्त की जाती है । उभयपक्ष सूचित हों एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस हो ।

(एम.के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मंडल, म.प्र. ग्वालियर

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पु. क्र. 20 सन् – 2012 R-3372-I/12

1. गोपाल पाली पिता स्व. बाबूलाल पाली
निवासी सरकारी कुंआ मकान, मकान नं. 2907
घमापुर जबलपुर जिला–जबलपुर।

2. बद्री प्रसाद पाली स्व. बाबू लाल पाली
निवासी सरकारी कुआं, घमापुर जबलपुर
जिला जबलपुर (म.प्र.)

3. श्रीमती रामाबाई पाली पति स्व. बाबूलाल पाली
निवासी सरकारी कुआं, घमापुर जबलपुर
जिला जबलपुर (म.प्र.)

4. श्रीमती लीला पाली पति श्री प्रेमलाल पाली
साकिन लालमाटी जबलपुर जिला–जबलपुर

5. श्रीमती उर्मिला पाली पति नंदकिशोर पाली,
निवासी सरकारी कुआं, घमापुर जबलपुर
जिला जबलपुर (म.प्र.)

6. श्रीमती लक्ष्मीपाली पति अजय पाली, निवासी
करनेलगंज इलाहाबाद (यू.पी.)

173

.... **पुनरीक्षणगकर्तागण**

विरुद्ध

राम कुमार पिता तुलाराम पाली
निवासी सिद्धबाबा लालमाटी चाचा किराना स्टोर्स
के पीछे जिला – जबलपुर (म.प्र.)

.... **गैर पुनरीक्षणकर्ता**